संख्याः–3315/अड़तीस–7–2013–369एनआरईजीए/2008

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2– मुख्य विकास अधिकारी/समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2013

विषयः–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2150/अड़तीस–7–2013–369एनआरईजीए/2008 दिनांकः 16–07–2013 के प्रस्तर–7 में यह व्यवस्था है कि **"जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह अधिकार होगा कि वह जनपद में किसी भी स्तर पर प्रशासनिक निधि की कमी होने पर एक–दूसरे के हिस्से से उसकी आवश्यक प्रतिपूर्ति कर सकेंगे एवं किसी भी स्तर पर प्रशासनिक निधि के सरप्लस होने पर उसे यथावश्यकता स्थानान्तरित कर सकेंगे।"**

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–7 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही जनपदों द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके कारण विभिन्न स्तरों पर धनराशियां लम्बित हैं। धनराशि व्यय न होने के कारण जहां एक ओर प्रशासनिक व्यय का सृजन नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा कार्मिकों के मानदेय के भुगतान में कठिनाई भी हो रही है। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रशासनिक निधि में उपलब्ध धनराशि व्यय हेतु अप्रयुक्त पड़ी न रहे।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांकः 16–07–2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को दिनांकः 10–10–2013 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3315 (1)/अड़तीस–7–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव